

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)
 पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. थारा, P.A.S.
 रण संख्या 99/2018
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956
 उनवान

श्री 520 दा जगा हाल करे
 निवासी देवपुरे
 बनाम - प्रार्थी/प्रार्थीगण

श्री 520 दा जगा हाल करे
 निवासी देवपुरे

स्थित :- श्री 520 दा जगा हाल करे
 निवासी देवपुरे
 - विपक्षी/विपक्षीगण
 निर्णय दिनांक 27/2/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व प्राधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1033, 1041, 1044, 1106, 1121, 1331, 1426, 1450, 1463, 1638, 1649, 1702

कुल किता 14 रकबा 7.69 हैक्टर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार कारतकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अनिनाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। इनने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जनाबन्दी ग्राम संवत् 2071 से 2074 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नौजा 5000 ने स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदार/संयुक्त खातेदारी को आराजीयात किता 14 रकबा 7.69 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की नौजूदगी ने अगर नौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय ने विचाराधीन न हो तो कब्जे ने हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ को कनिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कनिश्नर फीस 1500 रुपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ नौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी नौके पर्चा पेश करे। पत्रावली फौजल शुनार होकर नम्बर से कन हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। को करे इजलास सुनाया गया। निर्णय आज दिनांक 27/2/18



(के. आर. थारा)
 उपखण्ड अधिकारी
 सहायक क्लर्क

प्रतिलिपि-तहसीलदार, शाहपुरा/ पत्र नैजकर लेख है कि नौजूदगी पक्षकारान की नौजूदगी ने नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर मालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(के. आर. थारा)
 उपखण्ड अधिकारी
 सहायक क्लर्क
 कलुप (सोचरावा)